



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227587
CG-DL-E-14062021-227587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943

No. 236]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 12-15/2012-के०हो०प०(पार्ट-1)।—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:—

- (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियम, 2021 होगा ।
- (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013, के विनियम 10 में, उप विनियम (4) के पश्चात निम्न उप विनियम को जोड़ा जायेगा अर्थात:—

“(5) प्रत्येक होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रणाली होगी तथा महाविद्यालय की कक्षाओं तथा शिक्षण अस्पताल जैसा की उल्लेखित हो, का सीधा प्रसारण

(लाइव स्ट्रीमिंग) उपलब्ध कराएगा जिससे प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर पर निरंतर निगरानी बनाए रखने में परिषद् तथा केन्द्रीय सरकार समर्थ हो सके।

डॉ. कुमार विवेकानन्द, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./100/2021-22]

नोट: मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र भाग—III, खण्ड—4 में अधिसूचना संख्या 12—10/2000—के0हो0प0(पार्ट—III) दिनांक 8 मार्च, 2013 तथा तत्पश्चात संशोधन अधिसूचना सं012—15/2012—के0हो0प0(पार्ट) दिनांक 28 नवंबर, 2018; स: 12—15/2012—के0हो0प0 (पार्ट—1), दिनांक 27 फरवरी, 2019 तथा सं0 12—15/2012—के0हो0प0(पार्ट—1) दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को प्रकाशित।

(यदि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियम, 2021 के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।)

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No.12-15/2012-CCH (Pt.I).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (1) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013, in regulation 10, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(5) Every homoeopathic medical college shall have Close-Circuit Televisions (CCTV) system in the medical college and shall provide live streaming of college classrooms and the teaching hospital as specified, to enable the Council and Central Government to maintain a constant vigil on the standard of medical education and training being imparted.”

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./100/2021-22]

Footnote: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 12-10/2000-CCH(Pt.III), dated the 8th March, 2013 and subsequently amended vide notification No. 12-15/2012-CCH (Pt.), dated the 28th November, 2018; No. 12-15/2012-CCH (Pt. I), dated the 27th February, 2019 and No. 12-15/2012- CCH (Pt. I), dated the 29th April, 2019.